न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 75/2018
आरसीएमएस नम्बर– 2018/00407

प्रार्थी:– गणपतसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी चौकडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1 ग्राम पंचायत चौकडिया, पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन जरिये सरपंच
2 पुस्तकालय, चौकडिया जरिये इन्चार्ज

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री धर्मेन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 12/2/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत चोकडिया द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.04.2018 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों में विहित प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। पुस्तकालय किसी प्रकार की संस्था नहीं है, इस कारण पुस्तकालय के नाम से किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई मिसल कायम की एवं न ही कोई सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया तथा खातेदारी भूमि पर पुस्तकालय के नाम से पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी कृषि भूमि है, जो मन्दिर के पास आई हुई स्थित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मात्र आबादी भूमि में ही पट्टा जारी किया जा सकता हैं। चूंकि जैर विवादित आराजी आबादी भूमि नहीं हैं। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी कृषि भूमि नहीं होकर आबादी भूमि हैं, जिस पर पट्टा जारी करने के ग्राम पंचायत को विधिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को कृषि भूमि होना बताया, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो जैर निगरानी विवादित आराजी को कृषि भूमि होना प्रमाणित करता हो। ग्राम पंचायत द्वारा कोरम की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.02.2018 को सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु पट्टा जारी करने की कार्यवाही करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें दिनांक 20.02.2018 को तीन पंचों की कमेठी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया। इस पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया जाकर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.04.2018 को सार्वजनिक पुस्तकालय हेतु निःशुल्क पट्टा जारी किया गया। चूंकि इसकी देखरेख का जिम्मा भी ग्राम पंचायत का ही है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य सार्वजनिक है तथा इसके निर्माण हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तिय स्वीकृति जारी हो चुकी हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0एन0जे0 (राज.) 2012 (3) पेज 1330 के पैरा संख्या 6 में यह अभिनिर्धारित किया है कि " Moreover, in catena of cases, the Hon'ble Supreme Court has observed that ordinarily the Court should not interefre with public work. In case, the injunction is granted staying the construction of the infrastructure, it leads to a grave loss for the public at large, and it unnecessarily puts a burden on the State exchequer." इस परिप्रेक्ष्य में भी ग्राम पंचायत द्वारा पुस्तकालय हेतु जारी पट्टा सार्वजनिक कार्य की श्रेणी में परिलक्षित होने से निगरानी के जरिये इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत चोकडिया द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.04.2018 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 05.04.2018 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/02/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली